पत्र सं0 1502–22 / सं0 अनु0–(म0 भत्ता) दिनांक 16 अक्टूबर 2008 कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 401 / 36–3–06–7(न्यू0 वे0) / 04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1 / 26 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1982=100 के 522 अंकों के ऊपर जुलाई 2007 से दिसम्बर 2007 के औसत 617 (छः सौ सत्रह मात्र) पर दिनांक 01–04–2008 से दिनांक 30–09–2008 तथा जनवरी 2008 से जून 2008 के औसत 635 (छः सौ पैंतीस मात्र) पर दिनांक 01–10–2008 से दिनांक 31–03–2009 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है –

दृष्टांत : रूपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 635 पर दिनांक 01–10–2008 से दिनांक 31–03–2009 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा–

$$\frac{(635-522)}{522} \times 2600 = \text{रूपये } 562.83 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है –

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रू0 में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में दिनांक 01–04–2008 से दिनांक 30–09–2008 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में दिनांक 01–10–2008 से दिनांक 31–03–2009 तक
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	2600.00	473.00	562.83
2.	अर्द्ध कुशल	2964.00	539.50	641.63
3.	कुशल	3290.00	599.00	712.00